

क्रमांक एफ 11(50टों)एफसीए/मुवसअ/2022-00015 2155
निमित्त,

दिनांक:- 23/6/23

अति.प्रधान मुख्य वन संरक्षक,
प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी, एफसीए,
राजस्थान-जयपुर।

विषय :-Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi-Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022

सन्दर्भ:- उप वन संरक्षक, टोंक का पत्रांक 4836 दिनांक 19.06.2023 के क्रम में।


महोदया,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प. 1(13)वन/2023 दिनांक 03.03.2023 द्वारा उक्त प्रकरण में 0.4143 है. वन भूमि के प्रत्यावर्तन की सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की है। सैद्धान्तिक स्वीकृति में दी गई शर्तों की बिन्दुवार पालना रिपोर्ट उप वन संरक्षक, टोंक द्वारा प्राप्त हुई है जो निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है-

क्र.सं.	पैरावाईज बिन्दु	पालना रिपोर्ट
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।

7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।
10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करे।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र- महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार दो सेट मूल।

भवदीय

(शारदा प्रताप सिंह) 23/6/12
मुख्य वन संरक्षक,
अजमेर।

कार्यालय सभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा

पता-किशोरपुरा कोटा-09 (राज0), ईमेल-ccfidp.kota@gmail.com दूरभाष:- 0744-2500194
 क्रमांक:एफ13()एफसीए/समुवसं/2023/ दिनांक :

निमित्त,

अति0 प्रधान मुख्य वन संरक्षक
 प्रोटेक्शन एवं नोडल अधिकारी एफसीए
 राजस्थान जयपुर।

विषय: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi-0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited.(Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022

प्रसंग: राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13)वन/2023 दिनांक 03.03.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान सरकार वन विभाग द्वारा दिनांक 03.03.2023 से आलौच्य प्रकरण में सशर्त सैद्धान्तिक स्वीकृति जारी की गयी है। उप वन संरक्षक बून्दी ने सैद्धान्तिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना प्रयोक्ता अभिकरण से प्राप्त कर पत्रांक 7833 दिनांक 21.07.2023 से इस कार्यालय में प्रेषित की है, जो निम्नानुसार है:-

क्र.सं.	शर्त	पालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वनविभाग के होंगे। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वनविभाग के होंगे। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प न ही लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	जिला कलेक्टर द्वारा जारी एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न है।


10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता एजेसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
11.	भारतसरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दि० 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेसी हिन्दी समाचार पत्र-महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र -The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

प्राप्त पालना रिपोर्ट कार्यालय की सहमति सहित अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।
संलग्न:- अनुपालना रिपोर्ट 2 प्रति में।

भवदीय
४०
(महेश चन्द गुप्ता)
संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

क्रमांक: एफ13()एफसीए/समुवसं/2023/ 3824-25 दिनांक : 24.7.2023
प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. उप वन संरक्षक बून्दी को पत्रांक 7833 दिनांक 21.07.2023 के क्रम में
2. Telesonic Networks Limited K21 Sunny House, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur


संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा

कार्यालय उप वन संरक्षक, टोंक

जखीरा नर्सरी परिसर सवाई माधोपुर रोड टोंक फोन नं.-01432254479 ई-मेल:-dcf.tonk.forest@rajasthan.gov.in
कमांक एफ () सर्वे/एफसीए/उवस/2023-24/4836 दिनांक 19/06/2023
निमित्त

मुख्य वन संरक्षक
अजमेर

विषय:- Diversion of 0.4143 ha. (Tonk-0.1425 ha. Bundi 0.2718 ha.) For laying fo underground optical cable along the road with in the existing row roneeja kumharla to bundi tonk district border to dhadrola m/s telesonic network limited (raj.) (online proposal no. FPR/J/OFC/150737/2022)

प्रसंग:- अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक प्रोटोकेशन एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर का पत्र कमांक 5340-42 दिनांक 20.03.2023।



FLA
21
20/6/23 महोदय
20-06-23

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि उक्त प्रस्ताव अन्तर्गत वनभूमि प्रस्ताव अन्तर्गत राजस्थान सरकार, वन विभाग के पत्रांक प.1 (13)वन/2023 जयपुर दिनांक 03.03.2023 के द्वारा प्रस्तावित प्रकरण में सेद्धान्तिक स्वीकृति प्राप्त हुई है, जिसके अन्तर्गत अधिरोपित शर्तों की पालना करने हेतु प्रयोक्ता अभिकरण को लिखा गया था। इस क्रम में प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा पालना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है। जो निम्नानुसार अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न प्रेषित है।

क्र.सं.	अधिरोपित शर्त	पालना प्रतिवेदन
1	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
2	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जायेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
3	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जंतुओं को किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जायेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समरत उपाय किये जायेगे।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
4	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किये जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर वन विभाग के होंगे।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
5	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वन क्षेत्र के आस-पास स्टॉफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जायेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
6	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
7	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वन भूमि के अतिरिक्त आस-पास की वन भूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जायेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।
8	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान व भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों की पालना करेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अंडरटेकिंग संलग्न है।

9	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धांतिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरांत ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण के द्वारा एफ.आर.ए. प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया गया है जो संलग्न है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जावेगा।	पालना में प्रयोक्ता अभिकरण का अडरटेकिंग संलग्न है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को प्रयोक्ता अभिकरण हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरतः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में जारी स्वीकृति को सुनिश्चित की जाये तथा प्रकरण में जारी प्रयोक्ता अभिकरण हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरतः प्रकाशित कराये एवं जारी स्वीकृति को प्रतियां स्थानीय निकाय पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अंदर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्न-प्रस्ताव 3 प्रतियों में।

(धनश्याम गुप्ता)
उप वन संरक्षक
टोंक

दिनांक / /2023

कमांक एफ ()सर्वे/एफसीए/उवस/2022-23/

प्रतिलिपि -निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफसीए राजस्थान जयपुर।
2. जिला कलेक्टर टोंक।
3. सहायक वन संरक्षक देवली।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी देवली।
5. लेखा शाखा कार्यालय हाजा टोंक।

(धनश्याम गुप्ता)
उप वन संरक्षक
टोंक

कार्यालय उप वन संरक्षक, बून्दी

Add. - Nainwa Road, Behind Head Post Office, Bundi - 323001

E-Mail:- dcf.bundi.forest@rajasthan.gov.in, Tel. No. 0747-2456823, Fax No. 0747-2457462

क्रमांक एफ2()एफ0सी0ए0/उवसं/2023 7833

दिनांक : 21/7/23

निमित्त,

संभागीय मुख्य वन संरक्षक
कोटा।

विषय:- Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi-0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022

प्रसंग :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13)वन/2023 दिनांक 03/03/2023 एवं प्रयोक्ता ऐजेन्सी का पत्र दिनांक 19.07.2023 के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के क्रम में निवेदन है कि विषयांकित प्रकरण में राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13)वन/2023 दिनांक 03/03/2023 द्वारा जारी सैद्धांतिक स्वीकृति की बिन्दुवार पालना प्रयोक्ता ऐजेन्सी द्वारा प्रेषित की गई है। जो निम्न प्रकार है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वनभूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आसपास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/कैरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेन्सी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।

9	प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा विशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अधिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा विशा निर्देशों का पालन करेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
10	प्रयोक्ता अधिकरण वैधानिक स्वीकृति की पालना के साथ एक आरए सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। जहाँपरान्त ही विहित स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफआरए सर्टिफिकेट संलग्न है।
10	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस संबंध में प्रयोक्ता ऐजेंसी का वचनबद्धता पत्र संलग्न है।
11	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय वीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन की अन्तर उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय वीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र-महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र-The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

मूल ही पालना रिपोर्ट 3 प्रति में आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित है।

संलग्न- उपरोक्तानुसार 3 प्रति में।

भवदीय

(तरुण मेहरा)

उप वन संरक्षक

बून्दी

क्रमांक एफ2()एफ0सी0ए0 / उवस / 2023 /

दिनांक :

1. प्रतिलिपि अति० प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नौडल अधिकारी (एफ0सी0ए0) राज० जयपुर।

(तरुण मेहरा)

उप वन संरक्षक

बून्दी



सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
टोंक।

दिनांक:.....

विषय :- Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022 की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13) वन/2023 दिनांक 03/03/2023 एवं उप वन संरक्षक टोंक के पत्रांक: एफ () सर्वे एफसीए/उवस/2022-23/2310, टोंक दिनांक 21/03/2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित विन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory
1 of 2 Page

10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र- महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

Place: Jaipur

For Teleco. Networks Limited

Name: _____

Office Seal & Signature: _____

Designation: _____

सेवामें,

श्रीमान उप वन संरक्षक,
बूँदी।

दिनांक: 19/07/2023

विषय :- Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) Proposal No. FP/RJ/OFC/150737/2022 की पालना रिपोर्ट प्रेषित करने बाबत।

संदर्भ :- राजस्थान सरकार वन विभाग के पत्रांक: प 1(13) वन/2023 दिनांक 03/03/2023 एवं उप वन संरक्षक बूँदी के पत्रांक: एफ2() वन संरक्षण/उवस/2021-22/2819, बूँदी दिनांक 27 Mar 2023

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के क्रम में निवेदन है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर के पक्ष में आलौच्य प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित बिन्दुवार पालना रिपोर्ट निम्नानुसार प्रेषित है:-

क्र. सं.	शर्त	पालना
1.	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।	वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
2.	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।	प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
3.	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें।	याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेगें। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
4.	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें।	प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
5.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
6.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
7.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
8.	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।	प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
9.	प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ. आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।	एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट पालना रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

10.	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।	राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा। इस हेतु वचनबद्धता संलग्न है।
11.	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।	भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जायें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र- महानगर टाइम्स एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - The Indian Express में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न हैं। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न हैं।

Place: Jaipur

For: ~~Signature~~
 Name: ~~Signature~~
 Office Seal & Signature:
 Designation:

Condition No. 01

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

Condition No. 02

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Condition No. 03

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

For Telesonic Networks Limited
Authorized Signatory

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 04

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022


Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पूर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Name: 
Office Seal & Signature:
Designation:

उप वन संरक्षक
बन्दी (राज०)

Condition No. 05
Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

For Telesonic Networks Limited

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 06
Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022


Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur


उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

For Telesonic Networks Limited


Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No.07

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022


Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur


उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)


For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory
Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No.08

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 09

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022


Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.


UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur


उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

For Telesonic Networks Limited


Name: Authorised Signatory
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 10

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur


उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)


For Telesonic Networks Limited
Authorized Signatory
Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 11

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि **Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र- **महानगर टाइम्स** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - **The Indian Express** में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

Place: Jaipur

उप वन संरक्षक
बून्दी (राज०)

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory
Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 01

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022


Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Name: 
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 02

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 03

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited
Authorized Signatory

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 04

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले वृक्षों को वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगें। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Name:  Authorised Signatory
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 05

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited


Authorised Signatory

Name:

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No. 06

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुरद्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसाई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

Name: 

Office Seal & Signature:

Designation:

Condition No.07

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं किया जावेगा। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited


Name: _____
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No.08

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) के दौरान वर्तमान तथा भविष्य में लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन किया जायेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited


Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 09

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan) हेतु सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट संलग्न कर प्रस्तुत है। इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited


Authorised Signatory

Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 10

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022


Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा, इस हेतु कम्पनी वचनबद्ध है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited


Name:
Office Seal & Signature:
Designation:

Condition No. 11

Full title of the Project: Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)

Proposal No. : FP/RJ/OFC/150737/2022

Date of Proposal : 01-02-2022

Diversion Area: 0.4143 Ha.

UNDERTAKING

प्रमाणित किया जाता है कि टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड, जयपुर द्वारा वचन दिया जाता है कि **Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0.1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)** भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी सैद्धान्तिक स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी समाचार पत्र.- **महानगर टाइम्स** एवं अंग्रेजी समाचार पत्र - **The Indian Express** में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करवा दिया है। समाचार पत्र की फोटो प्रतियां संलग्न है। जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को उपलब्ध करवा दी गई है। पालना रिपोर्ट के साथ समाचार पत्रों की प्रतियां संलग्न है।

Place: Jaipur

For Telesonic Networks Limited

Name: 

Office Seal & Signature:

Designation:

FORM-1
(for linear projects)
Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bundi

No.- Mada/Forest/Diversion/23/3401

Dated - 19.07.2023

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF), Government of India's letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA' for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **0.2718 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Layaing Optical Fiber Cable at Location Gram Roneeja & Dhardhadi, Gram Panchayat Roneeja Panchayat Samiti Hindoli District- Bundi** falls within jurisdiction of Bundi.

It is further Revised certified that :

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire **0.2718 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s), and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it;
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agrucultural communities.

Encl; AS above

(Mukesh Kumar Choudhary)

Additional District Collector, Bundi

No.- Mada/Forest/Diversion/23/

Dated - .07.2023

Copy forwarded to :

1. DFO Bundi.

—Sd—
Additional District Collector, Bundi

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक:-वन अधि./2023-24/

दिनांक - 18/07.2023

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.07.2023 को माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निर्देशित प्रतिनिधि श्रीमान अतिरिक्त जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की गान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 संशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुये।

- | | |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| 1. जिला कलक्टर, बून्दी। | अध्यक्ष |
| 2. अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी। | अध्यक्ष |
| 3. उपवन संरक्षक वन विभाग, बून्दी। | सदस्य |
| 4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी। | सदस्य सचिव |
| 5. श्री बंशीलाल मीणा (उप प्रमुख), जिला परिषद सदस्य वार्ड सं0 1 | सदस्य |
| 6. श्रीमती अंजना जैन, जिला परिषद सदस्य वार्ड सं0 20 | सदस्य |
| 7. श्रीमती सीमा भील, जिला परिषद सदस्य वार्ड सं0 7 | सदस्य |

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं विचार विमर्श उपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री करतार सिंह द्वारा सदन को जानकारी दी गई की निम्न 1 प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के पास लम्बित है।

1. टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाने में आयी (0.2718 है0) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा।

सदस्य सचिव द्वारा बताया गया की टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाये जाने हेतु निम्न प्रकार 0.2718 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बून्दी की बैठक दिनांक 25.01.2023 के बैठक कार्यवाही विवरण में भी इस हेतु प्रस्ताव पारित कर निम्न प्रकार वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है:-

क्र0सं0	ग्राम	खसरा नं0	खसरा नं0 का कुल क्षेत्रफल	अधिभोग
1	रोणीजा	450	8.707	0.1638 हैक्टर
		451	10.1576	
		1700	10.8860	
		1701	13.3384	
		1707	3.2537	
		358	6.1188	
		447	9.1783	
		360	3.0999	
		347	1.1169	
		363	3.3346	
2	धारघडी	543	69.3144	0.108 हैक्टर
		486	46.0208	
		08	57.4653	
		24	34.0907	
		11	35.5394	
		02	41.7878	
योग		353.4096	0.2718 हैक्टर	

For Teleson Network Limited


उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 25.01.2023 एवं संबंधित ग्राम पंचायत रोणीजा की ग्राम सभा में जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुशंषा के अनुसार उक्त भूमि पर कोई दावा लम्बित नहीं होने तथा जीविका उपार्जन हेतु काबिज नहीं होने एवं किसी भी वनवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने एवं अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अध्याय 2 के नियम 3(2) में वर्णित प्रावधानों के अनुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाये जाने हेतु निम्न प्रकार 0.2718 हेक्टर वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण जारी करने की अनुशंषा करती है उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।
उक्त बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

—Sd—
(मुकेश कुमार चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, बून्दी
दिनांक - 18/07/2023

क्रमांक:-वन अधि./2023-24/3400
प्रतिलिपि :-

1. अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. उपवन संरक्षक, वन विभाग, बून्दी।
3. प्रभारी अधिकारी (राजस्व), कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी।
4. महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, बून्दी।
5. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली।
6. श्री बंशीलाल मीणा (उपजिला प्रमुख) वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य वार्ड नं० 1 ग्राम पेच की बावडी तह. हिण्डोली जिला बून्दी।
7. श्रीमती अंजना जैन वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं० 20 ग्राम व पोस्ट बासी तह. नैनवां जिला बून्दी।
8. श्रीमती सीमा भील वनाधिकार समिति एवं जिला परिषद सदस्य, वार्ड नं० 7 ग्राम धनेश्वर तह. तालेडा जिला बून्दी।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली।
10. अतिरिक्त निजि सचिव, जिला कलक्टर, बून्दी।
11. प्रतिनिधि टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड।
12. श्री लेखराज प्रजापत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति, बून्दी।
13. निजि सहायक, सीईओ/एसीईओ, जिला परिषद, बून्दी।

For Teleson Networks Limited
Authorized Signatory


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बून्दी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (बून्दी)

क्रमांक/वनाधिकार/2022-23/152-156

दिनांक :- 25.01.23

—:प्रमाण पत्र:—

उपखण्ड हिण्डोली परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रोणीजा में 0.1638 हैक्टेयर, ग्राम धारधडी में 0.1080 हैक्टेयर (ग्रा0प0 रोणीजा) वन भूमि का प्रत्यावर्तन करने के उद्देश्य से श्रीमान जिला कलक्टर महो0 बून्दी के पत्र क्रमांक: प.8-5()राजस्व /2022/2965-66 दिनांक 28.02.2022 एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जि0प0बून्दी के पत्रांक:- माडा()वन अधिनियम/2022-23/3200 दिनांक 29.11.2022 की पालना में दिनांक 25.01.2023 को अधोहस्ताक्षरकर्ता की अध्यक्षता में उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई।

उपखण्ड स्तरीय समिति (वन अधिकारों की मान्यता) में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष
2	श्रीमान विकास अधिकारी	सदस्य
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य
4	श्री ओमप्रकाश	प0स0 सदस्य
5	श्री बलराम मीणा	प0स0 सदस्य
6	श्रीमति अर्चना कंवर	प0स0 सदस्य

टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाने में आई वन भूमि रोणीजा 0.1638 हैक्टेयर व ग्राम धारधडी 0.1080 हैक्टेयर, कुल वन भूमि 0.2718 हैक्टेयर के आवश्यक वन क्षेत्र में भूमि के प्रत्यावर्तन करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं। इस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत रोणीजा द्वारा दिनांक 31.10.2022 को ग्राम सभा बैठक आयोजित कर अपनी अनापत्ति जारी कर दी है। अतः उक्त भूमि के सार्वजनिक उपयोग हेतु अनुशंसा की गयी है।

सम्बन्धित क्षेत्रीय वन अधिकारी द्वारा अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 के प्रावधानों को और स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम 2006 के अन्तर्गत किसी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र उक्त प्रकरण में प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में ग्राम सभा, ग्राम पंचायत रोणीजा द्वारा जारी अनापत्ति उचित है।

अतः बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड हिण्डोली के परिक्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम रोणीजा के खसरा संख्या 450 रकबा 8.7007 है0, ख0सं0 451 रकबा 10.1676 है, ख0सं0 1700 रकबा 10.8860 है0, ख0सं0 1701 रकबा 13.3384 है0, ख0सं0 1707 रकबा 3.2537 है0, ख0सं0 358 रकबा 6.1188 है0, ख0सं0 447 रकबा 9.1783 है0, ख0सं0 360 रकबा 3.0999 है0, ख0सं0 347 रकबा 1.1169 है0, ख0सं0 363 रकबा 3.3346 है0, कुल किता 10 में से 0.1638 हैक्टेयर इसी प्रकार ग्राम धारधडी में खसरा संख्या 543 रकबा 69.3144 है0, ख0सं0 489 रकबा 46.0208 है0, ख0सं0 8 रकबा 57.4653 है0, ख0सं0 24 रकबा 34.0907 है0, ख0सं0 11 रकबा 35.5394 है0, ख0सं0 2 रकबा 41.7878 है0 में से 0.1080 हैक्टेयर अतः कुल किता 16 कुल रकबा 353.4032 है0 में से वन भूमि 0.2718 हैक्टेयर पर किसी भी वनवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने से जनहित में उक्त भूमि के प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति

तहसील हिण्डोली, जिला-बून्दी

दिनांक :- 25.01.2023

क्रमांक/वनाधिकार/2022-23/152-156

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी को सूचनाार्थ प्रेषित है।
2. श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय, जिला परिषद बून्दी।
3. विकास अधिकारी, प0स0 हिण्डोली।
4. क्षेत्रीय वन अधिकारी, हिण्डोली/नैनवां

For Telesonic Networks Limited
Authorized Signature

उपखण्ड अधिकारी/अध्यक्ष

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति

तहसील हिण्डोली, जिला-बून्दी

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली (बून्दी)

क्रमांक/बैठक/वनाधिकार/2022-23/151

दिनांक - 25.01.2023

-:बैठक कार्यवाही विवरण:-

उपखण्ड स्तरीय परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय समिति की बैठक दिनांक 25.01.2023 को उपखण्ड कार्यालय हिण्डोली में प्रातः 9:00 बजे आयोजित की गई।

उपखण्ड स्तरीय समिति (वन अधिकारों की मान्यता) में निम्न सदस्यगण उपस्थित हुये।

1	श्रीमान उपखण्ड अधिकारी	अध्यक्ष	
2	श्रीमान विकास अधिकारी	सदस्य	
3	क्षेत्रीय वन अधिकारी	सदस्य	
4	श्री ओमप्रकाश	पं0स0 सदस्य	
5	श्री बलराम मीणा	पं0स0 सदस्य	
6	श्रीमति अर्चना कंवर	पं0स0 सदस्य	

श्री ओमप्रकाश
पंचायत समिति सदस्य
घर नं0 5, पं0स0 हिण्डोली (बून्दी)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारंभ की गई। श्रीमान जिला कलक्टर महोदय बून्दी के पत्र क्रमांक: प8-5() राजस्व/2022/2965-66 दिनांक 28.02.2022 एवं श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय जिला परिषद बून्दी के पत्रांक:- नाडा() वन अधिनियम/2022-23/3200 दिनांक 29.11.2022 की पालना में दिनांक 25.01.2023 को बैठक आयोजित की गई।

बैठक में टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा, छाबडियों का नयागांव एवं गोठडा ग्राम पंचायतों में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल विछाने में आई वन भूमि रोणीजा 0.1638 हैक्टेयर, धारघडी 0.0963 हैक्टेयर, कुम्हरला 0.000 हैक्टेयर व गोठडा 0.0117 हैक्टेयर के आवश्यक वन क्षेत्र में भूमि के प्रत्यावर्तन करने हेतु वन अधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों के अधिकार प्रभावित नहीं होने हेतु प्रमाण पत्र जारी करने से सम्बन्धित है। बैठक में टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड के उपस्थित जनप्रतिनिधि ने अवगत करवाया कि ग्राम गोठडा में वांछित 0.0117 है0 भूमि ग्राम धारघडी में ही स्थित है एवं ग्राम कुम्हरला में वनाधिकार के तहत वांछित भूमि 0.000 है0 है। अतः उक्त दोनों ग्राम गोठडा व कुम्हरला में भूमि की आवश्यकता नहीं होने से कोई भी कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

ग्राम रोणीजा व धारघडी (ग्राम पंचायत रोणीजा) तहसील हिण्डोली, जिला बून्दी क्षेत्र में आयी वन भूमि क्रमशः 0.1638, 0.1080 हैक्टेयर वन क्षेत्र आने के कारण वन भूमि का प्रत्यावर्तन करने हेतु वनाधिकार अधिनियम 2006 के तहत अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी निवास नहीं कर रहे हैं। इस हेतु सम्बन्धित ग्राम पंचायत रोणीजा, द्वारा दिनांक 31.10.2022 को ग्राम सभा बैठक आयोजित कर ग्राम सभा व वनाधिकार समिति के द्वारा अनापत्ति जारी करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है।

उपखण्ड हिण्डोली जिला बून्दी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) 2006 एवं नियम 2008 तथा संशोधित नियम 2012 के अन्तर्गत परिभाषित कोई भी अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी का व्यक्ति/समुदाय उक्त अधिनियम/नियमों के अन्तर्गत देय किसी भी प्रकार के वन अधिकार हेतु उपरोक्त अधिनियम एवं नियम में उल्लेखित पात्रता नहीं रखता है। अतः किसी भी वनवासी के वनाधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। अतः समिति द्वारा उक्त प्रकरण में सर्वसम्मति से भूमि 0.2718 हैक्टेयर भूमि को टेलीसोनिक नेटवर्क्स लिमिटेड को प्रत्यायोजित करने का प्रस्ताव पारित किया गया है।

अतः प्रस्तावित ग्राम रोणीजा के खसरा संख्या 450 रकबा 8.7007 है0, ख0सं0 451 रकबा 10.1576 है0, ख0सं0 1700 रकबा 10.8860 है0, ख0सं0 1701 रकबा 13.3384 है0, ख0सं0 1707 रकबा 3.2537 है0, ख0सं0 358 रकबा 6.1188 है0, ख0सं0 447 रकबा 9.1783 है0, ख0सं0 360 रकबा 3.0999 है0, ख0सं0 347 रकबा 1.1169 है0, ख0सं0 363 रकबा 3.3346 है0, कुल किता 10 में से 0.1638 हैक्टेयर इसी प्रकार ग्राम धारघडी में खसरा संख्या 543 रकबा 69.3144 है0, ख0सं0 489 रकबा 46.0208 है0, ख0सं0 8 रकबा 57.4653 है0, ख0सं0 24 रकबा 34.0907 है0, ख0सं0 11 रकबा 35.5394 है0, ख0सं0 2 रकबा 41.7878 है0 में से 0.1080 हैक्टेयर अतः कुल किता 16 कुल रकबा 353.4032 है0 में से वन भूमि 0.2718 हैक्टेयर के प्रत्यावर्तन प्रस्ताव पर अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान की गयी।

श्री ओमप्रकाश भाल
पं0समिति सदस्य
घर नं0 5, पं0स0 हिण्डोली

श्री बलराम मीणा
पं0समिति सदस्य, पं0स0 हिण्डोली

श्रीमति अर्चना कंवर
पं0समिति सदस्य, पं0स0 हिण्डोली

क्षेत्रीय वन अधिकारी,
नैनवां

विकास अधिकारी
पंचायत समिति हिण्डोली

उपखण्ड अधिकारी
हिण्डोली

For Telesonic Networks Limited

कार्यालय ग्राम पंचायत रोणीजा

पंचायत समिति हिण्डोली जिला बून्दी (राज0)

प्रेषक :-

सरपंच

श्रीमती शर्मा बाई गुर्जर

मो.नं. 9001915809

प्रेषित :-

श्रीयुत

क्रमांक :-

प्राण पत्र

दिनांक.....23/12/2022

प्राणोत्तर किया जाता है, कि गाव पंचायत रोणीजा की गाव सभा सदस्य एवं
 वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 23/10/2022 को शरीर जोड़ी सलाह
 बैठक पर हुई थी। उक्त बैठक में प्रस्ताव संख्या 03 के अनुसार गाव सभा
 रोणीजा में वन सभा 0.2718 हेक्टर के लिए अनुशासित बनगाली आ
 उक्त प्रस्तावगत वन निष्पत्ती (वन अधिकारी की गन्तव्य) अधिनियम 2004 के
 अनुशासित प्राण पत्र की आवश्यकता होने पर प्राण पत्र जारी करने का निर्णय
 लिया जाकर दिनांक 23/10/2022 को गाव सभा में बैठक दिनांक 23/10/2022 के
 प्रस्ताव संख्या 02 की गाव सभा में शपथ सहित गाव सभा द्वारा प्रस्ताव
 संख्या 02 के अनुसार संविधान के प्रास्ताव का अनुमोदन करते हुए वन अधिका-
 री प्रत्यक्ष अधिनियम 2004 के अनुशासित वन सभा 0.2718 हेक्टर के लिए
 प्रस्तावित नैस्वयं लि० के पत्र में यह प्राण पत्र आज दिनांक 23/12/2022
 को जारी किया गया।

यह प्राण पत्र आज दिनांक 23/12/2022 को प्रेरित प्रस्ताव एवं गाव
 पंचायत द्वारा जारी किया गया था।

For Telephonic No.  Digitized Signature

शर्मा
 सरपंच
 ग्राम पंचायत रोणीजा
 हिण्डोली (बून्दी)

FORM -I
(for linear projects)
(Govt. of Rajasthan)

Office of the District Collector, Tonk

No F 12() /FRA/2023-24/ 923

Date 09.06.2023

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-09/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th Feb. 2013 Wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that **0.1425 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of Office Of The Sr. Manager, Telesonic Network Limited, Jaipur Rajasthan (Name of user agency) for Laying of UNDERGROUND OPTICAL FIBER CABLE ALONG THE ROAD WITHIN THE EXISTING ROW FROM RONIJA - KUMAHARLA TO BUNDI - TONK DISTRICT BORDER TO DHADROLA-DOONI. (purpose for diversion of forest land) in TONK district falls within Jurisdiction of Anwa and DHADROLA village (s) in DOONI tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.1425 Hectares area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district level Committee are enclosed as annexure A, no objection certificate of Gram panchayat Anwa No. 02 dated 24.04.2022 and Gram panchayat Sitapura no.01 date 26.01.2023
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl. :- As above.

**District Collector,
Tonk**

कार्यालय जिला परिषद, टोंक

बैठक कार्यवाही विवरण


आज दिनांक 26.06.2023 को प्रातः 11.00 बजे जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग वन नियमों (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित विषय पर चर्चा की गई।


प्रस्ताव - विशेष प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क लिमिटेड, जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत आंवा के ग्राम आंवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारौला, लहसौल देवली की 0.1425 हे० वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रस्ताव/पत्रावली की समीक्षा की गई।

- जिसमें विशेष प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क लिमिटेड, जयपुर के पत्रांक -दिनांक 15.12.2022 द्वारा ग्राम पंचायत आंवा के ग्राम आंवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारौला में निम्नानुसार वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईबर केबल बिछाया जाना प्रस्तावित है। जिसका क्षेत्रफल निम्न प्रकार से है -

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नंबर व रकबा	कुल क्षेत्रफल
1	आंवा	आंवा	2202, 2229, 2238, 2240	0.0864
2	सीतापुरा	धारौला	1561, 1563, 1564, 1566	0.0561
कुल क्षेत्रफल				0.1425

- उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत आंवा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 24.04.2022 प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 26.01.2023 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर आदिनांक तक SI & OTFD (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3(1)(e) के अन्तर्गत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही पूर्व में कोई दावा लंबित है तथा अब तक कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया है। अतः उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
- उपरोक्त स्तरीय वनाधिकार समिति देवली की बैठक दिनांक 30.05.2022 (आंवा) एवं दिनांक 16.03.2023 (सीतापुरा) के ग्राम धारौला ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विचारार्थ रखा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त उपरोक्त स्तरीय समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अण्डर फाईबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त लंबित नहीं है और पूर्व में भी कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण उपरोक्त अधिकारी देवली के पत्रांक 5642 दिनांक 26.06.2022 एवं पत्रांक 765 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।
- उपरोक्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टोंक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया, जिस पर समिति द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर ग्राम सभा एवं उपरोक्त स्तरीय समिति द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा लंबित नहीं होना बताया गया है। अतः जिला स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा चर्चा उपरान्त अण्डर ग्राउण्ड फाईबर केबल बिछाने बाबत वन विभाग की उक्तानुसार प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्रफल 0.1425 हे० भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान कर बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।


वन अधिकारी,
टोंक


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, टोंक

जिला कलेक्टर,
टोंक

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली जिला टोंक

आज दिनांक 16/03/2023 को समय 11:00 AM बजे उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 एव नियम 2008 एव संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें निम्नांकित विषय पर चर्चा की गई।

बैठक में ऑफिशियल जफ्त कर केवल 30/03/23 दिनांक हेतु हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत

भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा की गई।

- जिसमें ग्राम धारोता के निम्न खसरा नं. में से वन भूमि 0.0561 हेक्टेयर ग्राम पंचायत सीतापुरा के निम्नांकित ग्रामों की निम्नांकित वन भूमि पर (संबंधित उद्देश्य) अप्रमाण साक्ष्यित जफ्त कर केवल 30/03/23 दिनांक हेतु प्रस्तावित किया गया है।

क्र.सं	पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नम्बर व रकबा	कुल क्षेत्रफल
1	सीतापुरा	धारोता	1561, 1566, 1564, 1563	0.0561 हे.
कुल क्षेत्रफल				

- उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत सीतापुरा की ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 26/01/2023 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा एव ग्राम पंचायत सीतापुरा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकारी समिति की बैठक दिनांक 26/01/23 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर आज दिनांक तक ST & OTFD (वनाधिकार की मान्यता) अधिनियम 2006 एव 2008 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है। और पूर्व में कोई दावा लम्बित नहीं है। तथा अब तक कोई वनाधिकार पत्र निहीत नहीं किया गया है। अतः उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम सभा की कोई आपत्ति नहीं है। जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया है।
- उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 16/03/23 में ग्राम सभा स्तरीय समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विचारार्थ रखा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि (संबंधित उद्देश्य) प्रस्तावित हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा लम्बित नहीं है और पूर्व में भी कोई वनाधिकार पत्र निहीत नहीं किया गया। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने सहमति प्रदान की गई है।

SV
क्षेत्रीय वन अधिकारी
क्षेत्रीय वन अधिकारी
देवली (टोंक)

Mamta
विक्रम सिंह
पंचायत समिति देवली (टोंक)

[Signature]
उपखण्ड अधिकारी
देवली

[Signature]
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार
समिति सदस्य
पंचायत समिति सदस्य
वार्ड नं 21

[Signature]
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार
समिति सदस्य
पंचायत समिति सदस्य
वार्ड नं 6

[Signature]
उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार
समिति सदस्य
पंचायत समिति सदस्य
वार्ड नं 18

For Telecom Networks Limited

[Signature]
Signature

वैयक्तिक कार्यवाही दिनांक - 16/03/2023

आज दिनांक - 16/03/2023 को मुख्य कार्यवाही अधिकारी एवं पदेन मुख्य परिभोजना अधिकारी (मडा) जिला परिषद टिकठ के पत्रांक 49 दिनांक 16/03/2023 एवं श्रीमान विकास अधिकारी पंचायत समिति देवली के आदेश क्रमांक 7440-46 दिनांक 15/03/2023 की पालना में श्रीमान दुर्गाप्रसाद शीना उपखण्ड अधिकारी देवली की अध्यक्षता में ब्लॉक स्तरीय वन समिति की बैठक का आयोजन उपखण्ड कार्यालय देवली में रखा गया है। जिसमें निम्न उपाखित हुए-

क्रम.संख्या	नाम अधिकारी/सदस्य	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री दुर्गाप्रसाद शीना	अध्यक्ष	
2.	श्री समतल चौधरी	BDO	Muntya
3.	श्री महादेव शीना	सदस्य	
4.	श्री रामसिंह शीना	सदस्य	रामसिंह शीना
5.	श्री अरतराज शीना	सदस्य	अरतराज
6.	श्री कदरनाथ शीना	सदस्य	कदर

For Telesonic Networks Limited

Authorised Signatory

प्रस्ताव संख्या २, वन समिति में सर्वसम्मति से बेंक
ग्राम पंचायत सीतापुरा से प्राप्त उस्ताव वन धूमि
राज्य ग्राम धारणा के खाना नं. 1554, 1566, 1564
में से 0.0581 है. के ऑप्टिकल फाइबर केवल विभाग
के लिए टेलिफोनिक नेटवर्क लिमिटेड कंपनी के
अनुमति सर्वसम्मति से दी जाती है। प्रस्ताव लिया गया।

अधीक्ष
पार्स-२१

नाम १०१
पार्स-६

पार्स
पार्स-१८

३५
विकास अधिकारी
देवली (पंच)

Mamta
विकास अधिकारी
पंचायत समिति देवली (पंच)

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory



जय जवान !

जय किसान !

कार्यालय ग्राम पंचायत, सीतापुरा

पंचायत समिति देवली, जिला-टोंक (राज.)

प्रेषक :

सरपंच/सचिव
ग्राम पंचायत, सीतापुरा
पं. स. देवली (टोंक-राज.)

प्रेषित :-

श्रीमान्

क्रमांक / 2023 / 312


दिनांक 9/3/2023

विषय :-


प्रसंग :-

प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि कम्प्यूटरीकरण अधिनियम अन्तर्गत ग्राम पंचायत सीतापुरा में 0.0561 हेक्टर खसरा नं. 1561, 1563, 1564, 1566 वन भूमि में रणोजा कुम्हाला से बून्डी टोंक जिला केन्द्र दायोला तक टेलीसेनिक नेटवर्क निर्माण कम्पनी को ऑप्टिकल फाइबर केबल विद्यमान के लिए ग्राम पंचायत सीतापुरा को कोई आपत्ति नहीं है। इस हेतु ग्राम सभा में प्रस्ताव संख्या 01 दिनांक 26/01/2023 पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया है।


ग्राम पंचायत सीतापुरा
पं. स. देवली (टोंक)

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory


सरपंच
ग्राम पंचायत सीतापुरा
पं. स. देवली टोंक

धारा 1 - ग्राम सभा के पंचायति के समक्ष पत्र

श्री श्री सरकारी ग्राम जारोला के खेती
नं. 1559, 1566, 1564, में से 0.056 हेक्टर
को ऑप्टिकल फाइबर केवल विद्युत
के टेलिफोन नेटवर्क के लिए शक्ति
को लागू करने के लिए दी जाती है।
लेकिन ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है।
इसका ग्राम सभा एवं पंच विकास
समिति के द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन
किया गया।

धारा

पंचायती

नवरा

पंचायत

दीवानी

सदस्य

ग्राम पंचायत सीतापुरा
पंच. देवली टोक

दीवानी

सदस्य

ग्राम पंचायत सीतापुरा
पंच. देवली टोक

For Telesonic Networks Limited

Authorized Signatory

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, देवली (टोंक)

क्रमांक / 2022 / 5642

दिनांक :- 02/06/2022

श्रीमान् मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद्, टोंक

विषय :- वनाधिकार अधिनियम की ब्लॉक स्तरीय बैठक कार्यवाही विवरण व ग्रा0प0 की कार्यवाही विवरण भिजवाने बाबत।

प्रसंग :- श्रीमान् के कार्यालय पत्रांक 592-93 दिनांक 15.06.2022 के क्रम में।

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासांगिक पत्र के संदर्भ में निवेदन है कि वनाधिकार अधिनियम अन्तर्गत रूपेजा कुम्हारला से बूंदी - टोंक जिला बोर्डर से धारोला - दूनी तक टेलीसोनिक नेटवर्कस लि0मि0 को ग्राम पंचायत आंवा के अधीन (0.0864 हे0 वन भूमि) व ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला के अधीन (0.0522 हे0 वन भूमि) भूमि में अन्डरग्राउण्ड ऑप्टिकल फाईबर केबल बिछाने हेतु ^{FRA} प्रमाण पत्र चाहा गया है।

अतः उक्त संदर्भ में ग्राम पंचायत आंवा एव सीतापुरा से वनाधिकार प्रमाण पत्र नए ग्राम सभा बैठक कार्यवाही विवरण की प्रति प्राप्त कर ब्लॉक स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा अनुमोदन उपरान्त निर्धारित प्रपत्र के साथ संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न :- उक्तानुसार।

क्रमांक / 2022 / 5643
प्रतिलिपि :-


1. श्रीमान् जिला कलेक्टर महोदय, टोंक।
2. श्रीमान् अति0 मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद्, टोंक।
3. कार्यालय प्रति।


उपखण्ड अधिकारी
देवली

दिनांक :- 02/06/2022

For Telesonic Networks Limited


Authorized Signatory


उपखण्ड अधिकारी
देवली

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी देवली..... जिला टोंक

उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति का बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 30/5/22 को समय 11:30 बजे उपखण्ड अधिकारी की अध्यक्षता में अनुसूचित जातजाति और अन्य परम्परागत वन नियासी (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संबंधित नियम, 2012 के अन्तर्गत गठित उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक कार्यवाही की गई, जिसमें निम्नांकित विषय पर चर्चा की गई।

बैठक में डेलीमेटिक नैचुरल जिन कम्पनी प्राइवेट लिमिटेड


के प्राकृतिक वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा की गई।


1. जिसमें आवा द्वारा ग्राम पंचायत आवा के निम्नांकित ग्रामों की निम्नानुसार वन भूमि पर (संबंधित उद्देश्य) प्रस्तावित किया गया हेतु प्रस्तावित किया गया है।


क्र.सं.	पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नंबर व रकबा	कुल क्षेत्रफल
1	आवा	आवा	2202, 2229, 2238, 2240	0.0864
कुल क्षेत्रफल				0.0864


2. उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत आवा की ग्राम सभा / ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 24.4.22 प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा एच ग्राम पंचायत आवा की ग्रामसभा / ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 24.4.22 प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर आज दिनांक तक ST & OTFD (वन अधिनियम की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 की धारा 3(1)(c) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत / सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है और नहीं पूर्व में कोई दावा लम्बित है तथा अब तक कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया है। अतः उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

3. उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 30/5/22 में ग्रामसभा स्तरीय समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विचारार्थ रखा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि (संबंधित उद्देश्य) प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी व्यक्तिगत एवं सामुदायिक दावा लम्बित नहीं है और पूर्व में भी कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की गई है।


 जिला वन अधिकारी
 उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सदस्य
 पंचायत समिति देवली
 बार्ड नं. 221


 उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सदस्य
 पंचायत समिति देवली
 बार्ड नं. 18


 ग्राम पंचायत आवा
 उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति सदस्य
 सदस्य पंचायत समिति देवली
 बार्ड नं. 22.6
 प्रस्तावित समिति देवली (टोंक)

For Telesonic

 Digitized Signature

बैंक कार्यवाही

आज दिनांक 30/05/2022 को श्रीमान मुख्य कार्यकारी अधिकारी एवं पदेन मुख्य परामर्शक अधिकारी (असा) जिला परिषद रोड के फ़ाव 634 दिनांक 20.04.2022 एवं श्रीमान विवाल अधिकारी पंचायत समिति देवली के मादेय क्रमांक प355 दिनांक 26/05/2022 की पालना में श्रीमान भरत अश्व गोयल मुख्य अधिकारी देवली को अध्यक्षता में बैंक स्तरीय वन समिति की बैठक का आयोजन अपरवत्त सम्पन्न देखी में रचना गमा जिले में निम्न उल्लिखित हुए -

क्र.सं.	नाम अधिकारी/सहाय	पद	हस्ताक्षर
1.	श्रीमान अश्व गोयल	अध्यक्ष	10.1.2022
2.	श्री मादेय मीणा	सदस्य	सहाय
3.	श्री भरत राज मीणा	सदस्य	महाराज
4.	श्री अश्विनी मीणा	सदस्य	21.4.2022/10.1
5.	श्री सुदेश पोरवाल	सदस्य उचिक्	10
6.	श्री अश्विनी कुमा. मीणा	R.F.O. Jeevi	कुमा

For Telesonic Networks Limited
Authorised Signatory

प्रस्ताव संख्या - 1 वन समिति ने सर्व सम्मति से बूंद
 ग्राम पंचायत मांवा से प्राप्त प्रस्ताव बीकानेर वीकलपुर परिसर
 मन्तरात ग्राम पंचायत मांवा में बीकानेर - देवली उन्निपात
 जल प्रदाय योजना परियोजना के तहत पानी से मांवा पर
 एक लक्ष लीटर बिंदन के लिए यह क्षेत्र व क्षेत्र में
 के कारण वन क्षेत्र में पर्याप्त बिंदन के प्रस्ताव का मन्तरात
 विद्यमान।

प्रस्ताव संख्या - 2 वनाड स्वीन व व समिति ने सर्व सम्मति से
 ग्राम पंचायत नीलापुरा से प्राप्त प्रस्ताव ग्राम थारोला में सिपा
 वन भूमि में टेलीफोनिक "नेटवर्क" निर्मित कर सम्मति
 कम्पनी" को मन्तरात मांवा को फ्रीकल फार्म केवल मात्र
 बिन्दन के बिंदन हेतु का मन्तरात विद्यमान है।
 इसके बाद बूंद ही कार्यवाही सम्पन्न
 सम्मति की गई।

प्रस्ताव संख्या - 3
 वनाड स्वीन व व समिति (लोक)

सुधेश
 अध्यक्ष
 वनाड स्वीन व व समिति
 देवली

वि. प्र.
 अध्यक्ष
 वनाड स्वीन व व समिति
 देवली

अशोक कुमार शीखा
 वनाड स्वीन व व समिति
 देवली

सदस्य अध्यक्ष व व
 समिति देवली

For Tele... Limited



ग्राम पंचायत आँवा, पंस देवली, टोंक (राजस्थान)


Gram Panchayat Anwa, PS Deoli, Tonk (Rajasthan)


Email : panchayatanwa@gmail.com

दि० २१/६/०२२

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि वनाधिकार आदि निम्न अंतर्गत
ग्राम पं. आँवा के ०.०८८५ हे. एकरागं. २२०२, २२२९, २२३८,
२२५० वन भूखंडों में अर्जुन कुम्हार के पुत्री टोंक जिला
बोर्ड आरक्षण सूची तक (टेलीफोनिक नेटवर्क लिमिटेड कंपनी
की आवंजर केवल विधाने कलिय ग्राम पं. आँवा को
कोई आपत्ति नहीं है, इस हेतु ग्राम लोग के प्रत्यक्ष २
दि० २५.५.०२२ पर सर्व सम्मति लेनीय किताग गया है।


ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत आँवा
पंस देवली, टोंक-राज.


दिव्यांशु महेन्द्र भारद्वाज
सरपंच
पंचायत आँवा, टोंक-राज.

For


कार्यालय ग्राम पंचायत आवा पं० स० डेवली जिला टोंक

ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति का बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 24.11.2022 को समय 11:30 AM श्री/श्रीमती दिव्याश गहंन्द्र भारद्वाज अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासियों (वनाधिकार मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत गठित ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई जिसमें (संबंधित उद्देश्य) उक्त भूमि को फाइट के अंतर्गत देना के लिए भूमि प्रत्यावर्तन प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा की गई।

उक्त भूमि हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र जारी करने के संबंध में चर्चा की गई।

- जिसमें टेलिसोनिक कंपनी द्वारा ग्राम पंचायत आवा के निम्नानुसार वन भूमि पर (संबंधित उद्देश्य) फाइट के अंतर्गत देना के लिए

प्रस्तावित किया गया है।

क्र.सं.	पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नंबर व रकबा	कुल क्षेत्रफल
1	आवा	आवा	2202, 2219, 2238, 2240	0.0864 ई.
कुल क्षेत्रफल				0.0864

- उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु, ग्राम पंचायत आवा की ग्राम सभा/ग्राम पंचायत स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 24.11.2022 प्रस्ताव संख्या 2 द्वारा

द्वारा सर्वसम्मत से निणय लिया गया कि उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर आज दिनांक तक ST & OTFD (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं 2008 की धारा 3(1)(c)के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत/सांख्यिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है और पूर्व में कोई दावा सम्बन्धित है तथा अब तक कोई व्यक्तिगत दावा निवेदन नहीं किया गया है। अतः उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम स्तरीय कोई आपत्ति नहीं है जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मत से अनुमोदन किया जाकर FRA प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की गई। उक्त ग्राम सभा में 50 प्रतिशत से अधिक सदस्यों द्वारा उपस्थिति दर्ज कराई गई है।

ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत आवा
पं० स० डेवली जिला टोंक

दिव्याश गहंन्द्र भारद्वाज
ग्राम पंचायत सरपंच
पं० स०
पंचायत आवा, टोंक-राज.

For Telesonic Networks
Authorized Signatory

ग्राम - सभा

आज दिनांक 25/4/2022 को ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग के पंडित एफ.एन. (20) पराधी, पिछे / वि. गा. सभा / 2022/429 दि. 02.4.22 की पालना में कृष्ण कायकारी उपाधिकारी जिला परिषद रोड के आदेश की पालना व विकास अधिकारी महोदय पंचायत (मिनि) डेवली के आदेशानुसार वार्षिक पंचायतीराज दिवस को उजाड़ी का नमून महोदय के संकेत में विशेष ग्राम सभा का आयोजन सर्वपंच श्री दिव्यारा महेश भारद्वाज की अध्यक्षता में आयोजित की गई।
जिसमें निम्न कर्मचारी / अधिकारी / जनप्रतिनिधि गण उपस्थित हुए-

क्र.	कर्मचारी / अधिकारी / जनप्रतिनिधि	पद	हस्ताक्षर
1.	श्री दिव्यारा महेश भारद्वाज	सर्वपंच	
2.	श्री बाकी लाल बलार	उपसर्वपंच	
3.	श्री माही गीता डेवी	वाडपंच	डा. गोपी लाल नागर
4.	श्री राजेश शील	वाडपंच	रामेन्द्र
5.	श्री मही कलभानि व्हाई	वाडपंच	
6.	श्री माही मोनिका व्हाई	वाडपंच	
7.	श्री राजकुमार चंडेल	वाडपंच	
8.	श्री माही संतोष डेवी	वाडपंच	संतोष
9.	श्री मन्वीर खैनी	वाडपंच	
10.	श्री रामसहाय गुजर	वाडपंच	
11.	श्री माही प्रेम डेवी	वाडपंच	प्रेम
12.	डा. गोपी लाल नागर	वाडपंच	
13.	श्री केवल पाल मीणा	कंसल्टेंट	(K. Meena)
14.	दीनानंद नाथ	शक्ति	
15.	श्री विष्णु जाधव सावत	P.S.	
16.	श्री दुर्गा पुजारी	P.S.	विलोकावत
17.	श्री काल कर्मलेशवर्मा	P.S.	द्वारा

18	रामचरण खरीक	डे. के. सि. का	रामचरण	
19	दीपक कुमार	डी. के. सि. का	दीपक	
20	बलदेव सोन		बलदेव	
21	विष्णु माहरे	ड. का. I	विष्णु माहरे	पावर लॉ
22	सुधीर काठिया	PHDCA	सुधीर	
23	मन्जु सोन	④	मन्जु सोन	
24	इन्दी देव	ड. का. म. का	इन्दी देव	

के. के. सि. का

उत्तर - 1) ग्राम सभा में उपस्थित सदस्यों की
 जीवत ग्राम सभा अतिमान जा मुख्य विषय
 सावधानिक बचाव से सम्बंधित है।
 ग्राम सभा में राज में 1 मई 2021 से
 मुख्यमंत्री चिंजीवी बचाव बीमा योजना
 के बारे में विस्तर से चर्चा की गई
 यह राजस्वग सवकार की संकेत लगी
 फेगरीप योजना है, प्रदेगा का कोई भी परिवार
 इस योजना से जुड सकता है।
 इस योजना के तहत निःशुल्क वसाज प्रदान किया
 जावेगा।

2) पाज परिवार इस योजना में प्रेरा की सम्पत्त
 मन्दा की शामिल किया गया।
 इस योजना में साठ आर्थिक जनगणना 2011
 के पाज परिवार लघु हीनागत पुष्क परिवारों
 को राजस्व सवकार द्वारा वन परिवारों का समुह
 प्रीमियम वग करणी।
 मुख्यमंत्री चिंजीवी बीमा योजना के बारे में
 में सम्बन्ध जानकारी दी गई व विस्तर से

For Telesonic Networks Limited
 Authorised Signatory

-वर्ष की गरी व उपस्थित ग्राम वासियों को
 इस योजना का अधिकतम लाभ लेने
 के लक्ष्य के साथ जानकारी दी गई व जो यह
 इस योजना में जुटी नहीं है वह अपना संबंधित
 परिवार जना कावाकर इस योजना में जुटा लाने
 व लाभ प्राप्त कर लेंगे।
 उपस्थित ग्राम वासियों को जिन्होंने योजना के
 बारे में बिल्वार से -वर्ष की गरी।

प्रस्ताव - 2, ग्राम तथा से उपस्थित सदस्यों के द्वारा
 स्वयंसेवक महोदयों की अध्यक्षता के अंतर्गत जनजात
 व अन्य परम्परागत वननिवासी (वनाधिकार प्राप्त)
 कार्ययोजना 2006 एवं विनियम 2008 एवं संशोधित नियम
 2012 के अन्तर्गत ग्राम तथा वन क्षेत्र का क्षेत्र 2988
 हेक्टर अर्थात् प्रत्येक हेक्टर वन अधिकार प्रमाणपत्र
 जारी करने के लक्ष्य के तहत चलाया जा रहा है कि
 ग्राम तथा के वन क्षेत्र 0.0864 हेक्टर वन अधिकार
 प्राप्त आज दिनांक 20/08/2012 (वन अधिकार प्रमाणपत्र
 जारी 2006 व 2008 की धारा 3(A) (b) के अन्तर्गत
 डिप्टी सी प्रकाश का अधिवक्ता / नि.अ. अधिकारी द्वारा प्रस्ताव
 ली हुई क्षेत्र का ही पूर्व की धारा के अन्तर्गत वन क्षेत्र
 लक्ष्य के तहत वनाधिकार पत्र जारी ली जा रहा है इस
 प्रकार के प्रस्ताव हेतु प्रमाण प्रमाणपत्र जारी करने
 ग्राम तथा की कार्ययोजना नहीं है व वन अधिकार
 पत्र को निवाला कर पत्री है कि प्रकाश अधिकारी द्वारा
 अनुमानित क्षेत्र मात्रा व प्रमाण प्रमाणपत्र जारी करने
 पर लक्ष्य की गरी। उपस्थित परमाणु के तहत विधान
 हेतु (दिल्ली सीनिक नेबरहोस विधि को) के तहत कुम्हें
 वृन्दी बैंक मिल बोर्ड से प्राप्त की गयी है व वन अधिकार
 देने का निर्णय (वनाधिकार प्रमाणपत्र)

Authorised Signatory
 20/08/2012
 20/08/2012

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (13) वन/2023

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0,1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" (Proposal No. FP / RJ / OFC / 150737/2022)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2022/एफसीए/प्रमुवस/4892 दिनांक 14.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में M/S Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.4143 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0,1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भस्मक आदि कार्य किये जावेंगे।

Signature valid

Digitally signed by Mohali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.03.23 12:35:02 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उल्हास नगर, जयपुर, राजस्थान

दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads_forest@raja

RajKaj Ref No. : 3309161

[Handwritten Signature]

सरपंच

ग्राम पंचायत सीतापुरा,
ब.त. देवली टोंक

8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया ,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. जिला कलेक्टर, बूंदी।
6. उप वन संरक्षक, बूंदी
7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
8. रक्षित पत्रावली।

श्रीपति
सरपंच
ग्राम पंचायत सीतापुरा
ब.स. देवली टोंक

विशेषाधिकारी, वन

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen
Designation Deputy Conservator
Of Forest
Date: 2023.03.23 12:35:02 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता- वन विभाग कार्यालय , कमरा नम्बर 8324 , उत्तरी विभाग भवन, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads_forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 3309161

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (13) वन/2023

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0,1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" (Proposal No. FP / RJ / OFC / 150737/2022)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2022 / एफसीए / प्रमुवस / 4892 दिनांक 14.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में M/S Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.4143 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0,1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षों वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को रसोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भस्मकर्म प्रमाणित नहीं किया जावेगा।

Signature valid

Digitally signed by Mohali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forests

Date: 2023.03.03 12:35:02 IST

Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी मण्डल, भवन नं. 1, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 3309161

दीनदत्त
वन विकास अधिकारी
वन पंचायत ऑफिस
पं.रा.देवली (टोंक)

8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावें तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावें एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया ,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. जिला कलेक्टर, बूंदी।
6. उप वन संरक्षक, बूंदी
7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

दीनवर्ध
वन विकास अधिकारी
वन पंचायत ऑफिस
पं. ब. बेलवाड़ी (लॉक)

Signature valid

Digitally signed by Monali Sen
Designation: Deputy Conservator
Of Forest

Date: 2023.03.23 12:35:03 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी परिसर, भवन, जयपुर, राजस्थान जयपुर,

दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

RajKaj Ref No. : 3309161

FORM -I
(for linear projects)
(Govt. of Rajasthan)

Office of the District Collector, Tonk

No F 12()/FRA/2023-24/ 923

Date 09.06.2023

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-09/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th Feb. 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.1425 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Office Of The Sr. Manager, Telesonic Network Limited, Jaipur Rajasthan (Name of user agency) for Laying of UNDERGROUND OPTICAL FIBER CABLE ALONG THE ROAD WITHIN THE EXISTING ROW FROM RONJA - KUMAHARLA TO BUNDI - TONK DISTRICT BORDER TO DHADROLA-DOONI (purpose for diversion of forest land) in TONK district falls within Jurisdiction of Anwa and DHADROLA village (s) in DOONI tehsils.

It is further certified that :

- the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.1425 Hectares area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district level Committee are enclosed as annexure A, no objection certificate of Gram panchayat Anwa No. 02 dated 24.04.2022 and Gram panchayat Sitapura no.01 date 26.01.2023
- the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:
- the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl. :- As above.

देवली
सरपंच
ग्राम पंचायत सीतापुरा
ब.स. देवली टोंक

District Collector,
Tonk

कार्यालय जिला परिषद, टोंक

बैठक कार्यवाही विवरण

आज दिनांक 26.05.2023 को प्रातः 11.00 बजे जिला कलक्टर महोदया की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित विषय पर चर्चा की गई।

प्रस्ताव:- वरिष्ठ प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क लि० मालवीय मार्ग, सी स्कीम, जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत आंवा के ग्राम आंवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला, तहसील देवली की 0.1425 हे० वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव/पत्रावली की समीक्षा की गई।

1. जिसमें वरिष्ठ प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क लि०, जयपुर के पत्रांक -दिनांक 15.12.2022 द्वारा ग्राम पंचायत आंवा के ग्राम आंवा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला में निम्नानुसार वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईबर केबल बिछाया जाना प्रस्तावित है। जिसका क्षेत्रफल निम्न प्रकार से है :-

क.सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नंबर व रकबा	कुल क्षेत्रफल
1	आंवा	आंवा	2202, 2229, 2238, 2240	0.0864
2	सीतापुरा	धारोला	1561, 1563, 1564, 1566	0.0561
कुल क्षेत्रफल				0.1425

2. उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत आंवा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 24.04.2022 प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 26.01.2023 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर आदिनांक तक ST & OTFD (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही पूर्व में कोई दावा लंबित है तथा अब तक कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया है। अतः उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3. उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, देवली की बैठक दिनांक 30.05.2022 (आंवा) एवं दिनांक 16.03.2023 (सीतापुरा) के ग्राम धारोला ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विचारार्थ रखा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अण्डर फाईबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त लंबित नहीं है और पूर्व में भी कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण उपखण्ड अधिकारी देवली के पत्रांक 5642 दिनांक 28.06.2022 एवं पत्रांक 765 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।
4. उपरोक्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टोंक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया, जिस पर समिति द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा लंबित नहीं होना बताया गया है। अतः जिला उक्तानुसार प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्रफल 0.1425 हे० भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान कर बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।

उप वन संरक्षक,
टोंक

मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, टोंक

जिला कलक्टर,
टोंक

श्रीमती
सरपंच

ग्राम पंचायत सीतापुरा
ब. त. देवली टोंक

FORM-I
(for linear projects)
(Govt. of Rajasthan)

Office of the District Collector, Tonk

No F 12()/FRA/2023-24/ 923

Date 09.06.2023

TO WHOM SOEVER IT MAY CONCERN

In Compliance of the Ministry of Environment and forests (MoEF), Government of India's Letter No. 11-09/98-FC (pt.) dated 3rd August 2009 Wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th Feb. 2013 Wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. it is certified that 0.1425 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Office Of The Sr. Manager, Telesonic Network Limited, Jaipur Rajasthan (Name of user agency) for Laying of UNDERGROUND OPTICAL FIBER CABLE ALONG THE ROAD WITHIN THE EXISTING ROW FROM RONIJA - KUMAHARLA TO BUNDI - TONK DISTRICT BORDER TO DHADROLA-DOONI. (purpose for diversion of forest land) in TONK district falls within Jurisdiction of Anwa and DHADROLA village (s) in DOONI tehsils.

It is further certified that :

- (a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out of the entire 0.1425 Hectares area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s), Gram Sabha(s), Sub-Division Level Committee(s) and the district level Committee are enclosed as annexure A, no objection certificate of Gram panchayat Anwa No. 02 dated 24.04.2022 and Gram panchayat Sitapura no.01 date 26.01.2023
- (b) the diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it:
- (c) the proposal does not involve recognised rights of Primitive Tribal Groups and pre-agricultural communities.

Encl. :- As above.

District Collector,
Tonk

Signature
ग्राम विकास अधिकारी
ग्राम पंचायत अँवा
पं.स.वेवली (टोंक)

कार्यालय जिला परिषद, टोंक

बैठक कार्यवाही विवरण


आज दिनांक 26.05.2023 को प्रातः 11.00 बजे जिला कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुरूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 एवं संशोधित नियम, 2012 के अन्तर्गत गठित जिला स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक आयोजित की गई, जिसमें निम्नांकित विषय पर चर्चा की गई।


प्रस्ताव:- वरिष्ठ प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क्स लि0 मालवीय मार्ग, सी स्क्वीम, जयपुर द्वारा ग्राम पंचायत आंबा के ग्राम आंबा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला, तहसील देवली की 0.1425 हे0 वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईबर केबल बिछाने हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 के प्रावधानों के तहत भूमि प्रत्यावर्तन हेतु वन अधिकार प्रमाण पत्र लेने हेतु प्रस्तुत प्रस्ताव/पत्रावली की समीक्षा की गई।

1. जिसमें वरिष्ठ प्रबंधक टेलिसोनिक नेटवर्क्स लि0, जयपुर के पत्रांक -दिनांक 15.12.2022 द्वारा ग्राम पंचायत आंबा के ग्राम आंबा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा के ग्राम धारोला में निम्नानुसार वन भूमि पर अण्डर ग्राउण्ड फाईबर केबल बिछाया जाना प्रस्तावित है। जिसका क्षेत्रफल निम्न प्रकार से है :-

क्र.सं.	ग्राम पंचायत	ग्राम	ग्राम खसरा नंबर व रकबा	कुल क्षेत्रफल
1	आंबा	आंबा	2202, 2229, 2238, 2240	0.0864
2	सीतापुरा	धारोला	1561, 1563, 1564, 1566	0.0561
कुल क्षेत्रफल				0.1425

2. उक्त भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु ग्राम पंचायत आंबा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 24.04.2022 प्रस्ताव संख्या 02 द्वारा एवं ग्राम पंचायत सीतापुरा की ग्राम सभा/ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 26.01.2023 प्रस्ताव संख्या 01 द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर आदिनांक तक ST & OTFD (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 की धारा 3(1)(e) के अंतर्गत किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त नहीं हुआ है और ना ही पूर्व में कोई दावा लंबित है तथा अब तक कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया है। अतः उक्त वन भूमि के प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने में ग्राम सभा को कोई आपत्ति नहीं है जिसका ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।
3. उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति, देवली की बैठक दिनांक 30.05.2022 (आंबा) एवं दिनांक 16.03.2023 (सीतापुरा) के ग्राम धारोला ग्राम स्तरीय वनाधिकार समिति के निर्णय एवं कार्यवाही विवरण को विचारार्थ रखा जाकर समीक्षा की गई। समीक्षा उपरान्त उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा भी सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अण्डर फाईबर केबल बिछाने हेतु प्रस्तावित वन भूमि पर कोई भी व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा प्राप्त लंबित नहीं है और पूर्व में भी कोई वनाधिकार पत्र निहित नहीं किया गया। अतः उक्त प्रस्तावित वन भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने की सहमति प्रदान की गई है। उक्त बैठक कार्यवाही विवरण उपखण्ड अधिकारी देवली के पत्रांक 5642 दिनांक 28.06.2022 एवं पत्रांक 785 दिनांक 10.04.2023 द्वारा प्राप्त हुआ है।
4. उपरोक्त प्रस्ताव को जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टोंक के समक्ष अनुमोदनार्थ रखा गया, जिस पर समिति द्वारा सम्पूर्ण पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया, जिसमें उक्त प्रस्तावित वन भूमि पर ग्राम सभा एवं उपखण्ड स्तरीय समिति द्वारा किसी प्रकार का व्यक्तिगत/सामुदायिक दावा लंबित नहीं होना बताया गया है। अतः जिला उक्तानुसार प्रस्तावित वन भूमि क्षेत्रफल 0.1425 हे0 भूमि का प्रत्यावर्तन हेतु FRA प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सहमति प्रदान कर बैठक में सर्वसम्मति से अनुमोदन किया गया।


उप वन संरक्षक,
टोंक


मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, टोंक


जिला कलेक्टर,
टोंक

FORM-1

(for linear projects)

Government of Rajasthan

Office of the District Collector, Bundi

No. - Mada/Forest/Diversion/23/3461

Dated - 19.07.2023

TO WHOSOEVER IT MAY CONCERN

In compliance of the Ministry of Environment and Forests (MoEF) Government of India letter No. 11-9/98-FC (pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of right under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights Act 2006 (FRA for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purpose read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects. It is certified that 0.2718 hectares of forest land proposed to be diverted in favour of Layaing Optical Fiber Cable at Location Gram Roneeja & Dhardhadi, Gram Panchayat Roneeja Panchayat Samiti Hindoli District- Bundi falls within jurisdiction of Bundi

It is further Revised certified that

- (a) The complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the entire 0.2718 hectares of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consultations and meetings of the Forest Rights Committee(s) Gram Sabha(s) Sub-Division Level Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure A to annexure C
- (b) The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3(2) of the FRA have been completed and the Gram Sabhas have given their consent to it.
- (c) The proposal does not involve recognized rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl; AS above

(Mukesh Kumar Choudhary)

Additional District Collector, Bundi

Dated - 19.07.2023

No. - Mada/Forest/Diversion/23/

Copy forwarded to

1 DFO Bundi

—sd—
Additional District Collector, Bundi

शर्मा
सहय
ग्राम पंचायत रेणिया
पं. स. हिण्डीली (बुन्डी)

कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी

क्रमांक - वन अधि / 2023-24 /

दिनांक 14/7/23

बैठक कार्यवाही विवरण

दिनांक 14.07.2023 को माननीय अध्यक्ष महादय द्वारा निर्देशित प्रतिनिधि भ्रामान आतारखत जिला कलक्टर महोदय की अध्यक्षता में अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकार) अधिनियम, 2006 एवं नियम 2008 सशोधित नियम 2012 की क्रियान्विति हेतु जिला स्तरीय वनाधिकार समिति का बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्न पदाधिकारीगण उपस्थित हुये।

1. जिला कलक्टर, बून्दी।
2. अतिरिक्त जिला कलक्टर बून्दी।
3. उपवन संरक्षक वन विभाग, बून्दी।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, बून्दी।
5. श्री बंशीलाल मीणा (उप प्रमुख), जिला परिषद सदस्य वार्ड सं0 1
6. श्रीमती अंजना जैन, जिला परिषद सदस्य वार्ड सं0 20
7. श्रीमती सीमा भील, जिला परिषद सदस्य वार्ड सं0 7

अध्यक्ष
अध्यक्ष
सदस्य
सदस्य सचिव
सदस्य
सदस्य
सदस्य

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक कार्यवाही प्रारम्भ की गई एवं विचार विमर्श उपरान्त निम्न प्रकार निर्णय लिया गया।

सदस्य सचिव एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री करतार सिंह द्वारा रायन का जनाकारण की निम्न 1 प्रस्ताव जिला स्तरीय समिति के पास लम्बित है।

1. टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाने में आयी (0.2718 है0) वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने पर चर्चा।

सदस्य सचिव द्वारा बताया गया की टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को ग्राम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाये जाने हेतु निम्न प्रकार 0.2718 हैक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति बून्दी की बैठक दिनांक 25.01.2023 के बैठक कार्यवाही विवरण में भी इस हेतु प्रस्ताव पारित कर निम्न प्रकार वन भूमि के प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है:-

क्र0सं0	ग्राम	खसरा नं0	खसरा नं0 का कुल क्षेत्रफल	अधिमोग
1	रोणीजा	450	8 707	0 1638 हैक्टर
		451	10 1576	
		1700	10 8860	
		1701	13 3384	
		1707	3 2537	
		358	6 1188	
		447	9 1783	
		360	3 0999	
		347	1 1169	
		363	3 3346	
2	धारधडी	543	69 3144	0 108 हैक्टर
		486	46 0208	
		08	57 4653	
		24	34 0907	
		11	35 5394	
		02	41 7878	
योग			353 4096	0 2718 हैक्टर

शर्मा
सचिव

ग्राम पंचायत रोणीजा
सं. र. हिण्डोली


उपखण्ड स्तरीय वनाधिकार समिति की बैठक दिनांक 25.01.2023 एव संबधित ग्राम पंचायत रोणीजा की गाम सभा मे जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र की अनुशषा के अनुसार उक्त भूमि पर काई दावा लम्बित नही हाने तथा जीविका उपार्जन हेतु काबिज नही होने एव किसी भी वनवाग्मियों के अधिकार प्रभावित नही हाने एव अनुसूचित जनजाति एव अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारो की मान्यता) अधिनियम 2006 के अध्याय 2 के नियम 3(2) मे वर्णित प्रावधानो के अनुसार जिला स्तरीय वनाधिकार समिति टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड को गाम पंचायत रोणीजा में इन्टरनेट कनेक्टिविटी हेतु केबल बिछाये जाने हेतु निम्न प्रकार 0.2718 हेक्टर वन भूमि के प्रावधानो को अनापत्ति प्रमाण जारी करने की अनुशषा करती है उक्त प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित किया जाता है।

उक्त बैठक कार्यवाही विवरण सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

—Sd—
(मुकेश कुमार चौधरी)
अति० जिला कलक्टर, बून्दी
दिनांक - 18 07 2023

क्रमांक-वन अधि / 2023-24 / 3400
प्रतिलिपि -

1. अतिरिक्त आयुक्त जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग, उदयपुर।
2. उपवन संरक्षक, वन विभाग, बून्दी।
3. प्रभारी अधिकारी (राजस्व), कार्यालय जिला कलक्टर, बून्दी।
4. महाप्रबंधक, भारत संचार निगम लिमिटेड, बून्दी।
5. उपखण्ड अधिकारी, हिण्डोली।
6. श्री बंशीलाल मीणा (उपजिला प्रमुख) वनाधिकार समिति एव जिला परिषद सदस्य वार्ड न० 1 ग्राम पेच की बावडी तह हिण्डोली जिला बून्दी।
7. श्रीमती अजना जैन वनाधिकार समिति एव जिला परिषद सदस्य, वार्ड न० 20 ग्राम व पास्ट बारा तह. नैनवा जिला बून्दी।
8. श्रीमती सीमा भील वनाधिकार समिति एव जिला परिषद सदस्य, वार्ड न० 7 ग्राम धनेश्वर तह तालेडा जिला बून्दी।
9. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, हिण्डोली।
10. अतिरिक्त निजि सचिव, जिला कलक्टर, बून्दी।
11. प्रतिनिधि टेलिसॉनिक नेटवर्क लिमिटेड।
12. श्री लेखराज प्रजापत, सहायक विकास अधिकारी पंचायत समिति, बून्दी।
13. निजि सहायक, सीईओ/एसीईओ, जिला परिषद, बून्दी।


मुख्य कार्यकारी अधिकारी
जिला परिषद, बून्दी

श्रीमती
सरपंच
ग्राम पंचायत रोणीजा
व. स. हिण्डोली (बून्दी)

राजस्थान सरकार
वन विभाग

क्रमांक: प. 1 (13) वन/2023

जयपुर, दिनांक:-

प्रधान मुख्य वन संरक्षक (HoFF)
राजस्थान, जयपुर।

विषय:- Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0,1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" (Proposal No. FP / RJ / OFC / 150737/2022)

संदर्भ:- आपका पत्रांक एफ 14 (OFC)2022/एफसीए/प्रमुवस/4892 दिनांक 14.10.2022

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित प्रस्ताव में M/S Telesonic Networks Limited (प्रयोक्ता अभिकरण) द्वारा वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अन्तर्गत सामान्य स्वीकृति के तहत धारा-2 में OFC Cable Line हेतु 0.4143 हेक्टर वन भूमि प्रत्यावर्तन की स्वीकृति चाही गई है। नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम द्वारा प्रस्तुत किये गये प्रस्ताव पर विचारोपरान्त प्रस्ताव पर वन संरक्षक अधिनियम 1980 के अन्तर्गत धारा-2 में सामान्य स्वीकृति बाबत जारी दिशा-निर्देशों एवं नवीन निर्देश दिनांक 27.07.2020 के परिपेक्ष्य में Diversion of 0.4143 ha. (Tonk- 0,1425 ha.-Bundi- 0.2718 ha) for Laying of Underground Optical Fiber Cable Along the Road Within the Existing Row from Roneeja-Kumaharla to Bundi- Tonk District Border to Dhadrola -Dooni M/s Telesonic Networks Limited (Rajasthan)" की सैद्धान्तिक स्वीकृति बिना वृक्षों के पातन सहित निम्न शर्तों के अध्यक्षीन प्रदान करती है:-

1. वन भूमि की वैधानिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं होगा।
2. प्रत्यावर्तित वन भूमि का उपयोग किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं किया जावेगा।
3. याचक विभाग द्वारा परियोजना के निर्माण एवं रख रखाव के दौरान आस पास के क्षेत्र की वनस्पतियों एवं जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई जावेगी एवं उनके संरक्षण हेतु समस्त उपाय किये जावेंगे।
4. प्रत्यावर्तित क्षेत्र में रोपित किए जाने वाले को वृक्षो वन विभाग की बिना पुर्वानुमति के नहीं काटा जावे। उक्त क्षेत्र में रोपित पेड परिपक्व होने पर, वन विभाग के होंगे।
5. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित स्थल/वनक्षेत्र के आस-पास मजदूरों/स्टाफ के लिए किसी भी प्रकार का कैम्प नहीं लगाया जावेगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा निर्माण कार्य के दौरान स्थल पर कार्यरत मजदूरों/स्टाफ को सोई गैस/केरोसिन तेल आपूर्ति की जायेगी, ताकि निकटवर्ती वनों को क्षति न हो।
7. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित वनभूमि के अतिरिक्त आस-पास की वनभूमि से/पर निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी/पत्थर काटने या भरने का कार्य नहीं होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Mohali Sen
Designation : Deputy Conservator
of Forest

Date: 2023.03.03 12:35:02 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तरी मुख्य भवन, सी. लय, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads_forest@rajasthan.gov.in



15
YEARS OF
CELEBRATING
CONSERVATION

8. प्रयोक्ता अभिकरण वर्तमान एवं भविष्य में योजना पर लागू सभी नियम, कानून तथा दिशा निर्देशों का पालन करेगा।
9. प्रयोक्ता अभिकरण, सैद्धान्तिक स्वीकृति की पालना के साथ एफ.आर.ए. सर्टिफिकेट प्रस्तुत करावेगा। तदोपरान्त ही विधिवत स्वीकृति पर विचार किया जावेगा।
10. राज्य सरकार द्वारा दी गई इस अनुमति का प्रबोधन संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा किया जा सकेगा।
11. भारत सरकार के पत्रांक 7-23/2012/एफसी दिनांक 24.07.2013 से माननीय ग्रीन ट्रिब्यूनल द्वारा दिनांक 07.11.2012 को पारित निर्णय की पालना प्रकरण में सुनिश्चित की जावे तथा प्रकरण में जारी स्वीकृति को यूजर एजेंसी हिन्दी एवं अंग्रेजी में प्रकाशित होने वाले एक-एक समाचार पत्र में अक्षरशः प्रकाशित करावे एवं जारी स्वीकृति की प्रतियां स्थानीय निकाय, पंचायत एवं नगरपालिका के राजकीय अधिकारियों को स्वीकृति प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

भवदीया ,

(मोनाली सेन)
विशेषाधिकारी, वन

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. अपर वन महानिदेशक-वन, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, इन्दिरा पर्यावरण भवन, अलीगंज, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003
2. उप वन महानिरीक्षक (केन्द्रीय), भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय जयपुर कक्ष संख्या बी-ब्लॉक, अरण्य भवन झालाना, जयपुर।
3. अति. प्रधान मुख्य वन संरक्षक, वन सुरक्षा एवं नोडल अधिकारी एफ.सी.ए, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि इस प्रकार के प्रकरणों में जारी की गई स्वीकृतियों की मासिक सूचना संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक प्रेषित की जावे।
4. मुख्य वन संरक्षक, अजमेर।
5. जिला कलेक्टर, बूंदी।
6. उप वन संरक्षक, बूंदी
7. Telesonic Networks Limited K-21 Sunny house, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur.
8. रक्षित पत्रावली।

विशेषाधिकारी, वन

शर्मा
सदस्य
ग्राम पंचायत रोपिजा
व. स. हिण्डोली (बूंदी)

Signature Not Verified

Digitally signed by Monali Sen
Designation : Deputy Conservator
Of Forests, Ministry of Forests, Government of India
Date: 2023.03.03 12:35:02 IST
Reason: Approved

कार्यालय पता:- वन विभाग कार्यालय, कमरा नम्बर 8324, उत्तर मोहल्ले भवन, सा. लय, राजस्थान जयपुर,
दूरभाष संख्या- 0141-2227762 Mail ID ads.forest@rajasthan.gov.in

